आरईसी लिमिटेड (**"कंपनी"** या **"एनबीएफसी"**) द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित 12 नवंबर, 2021 के आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों संबंधी आरबीआई के स्पष्टीकरण (**"आरबीआई आईआरएसीपी मानदंड स्पष्टीकरण"**) के अनुपालन में, और/या आरबीआई द्वारा यथाअपेक्षित/निर्देशानुसार, सुविधा को अतिदेय, एसएमए/एनपीए के रूप में वर्गीकृत और अधिसूचित किया जाएगा। ऐसे खातों का आगे उन्नयन भी उपरोक्त स्पष्टीकरण द्वारा निर्देशित होगा।
कंपनी द्वारा इस तरह का वर्गीकरण और उन्नयन का तरीका निम्नवत होगा।

अतिदेय तिथि:

खाते को **चालन दिवस के अंत की प्रक्रियाओं के दौरान** (ऐसी प्रक्रिया के चालन के समय पर ध्यान दिए बिना), संपूर्ण बकाया प्राप्त नहीं होने की स्थिति में **अतिदेय लेखे** के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

अतिदेय तिथि के लिए उदाहरण: यदि किसी ऋण खाते की **देय तिथि 31 मार्च, 2022** है, और कंपनी द्वारा इस तिथि के लिए दिन-समाप्ति प्रक्रिया चलाने से पहले संपूर्ण बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो **अतिदेय की तिथि 31 मार्च, 2022 होगी।**

विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) वर्गीकरण:

यदि उस दिन के अंत की प्रक्रिया के चालन के समय व्यतिक्रम (डिफॉल्ट) (निर्धारित समय-सीमा के अनुसार) बना रहता है, तो कंपनी किसी खाते को **एसएमए/एनपीए** के रूप में चिह्नित करेगी।
आरबीआई आरईआरएसीपी मानक स्पष्टीकरण में दिए गए वर्गीकरण पैरामीटर निम्नवत हैं:

ऋण/सुविधाएँ	
एसएमए उप-श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि पूरी तरह या आंशिक रूप से अतिदेय
एसएमए-0	30 दिवस तक
एसएमए-1	30 दिवस से अधिक और 60 दिवस तक
एसएमए-2	60 दिवस से अधिक और 90 दिवस तक

उदाहरण:

एसएमए-1 वर्गीकरण:

उपरोक्त उदाहरण की निरंतरता में, यदि खाता **30 अप्रैल, 2022** की दिन-अंत प्रक्रिया के चालन के दौरान अतिदेय रहता है तो इसे **एसएमए-1** के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

एसएमए -2 वर्गीकरण:
इसी प्रकार, यदि उपरोक्त खाता **30 मई, 2022** की दिन-अंत प्रक्रिया के चालन के दौरान अतिदेय रहता है तो इसे **एसएमए-2** के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

2. गैर-निष्पादक परिसंपत्ति (एनपीए) वर्गीकरण:

उपरोक्त खाता यदि **29 जून, 2022** की दिन-अंत प्रक्रिया के चालन के दौरान अतिदेय रहता है तो इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जिसे ऋण बाधि परिसंपत्ति भी कहा जाता है क्योंकि कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार आईएनडी एएस मानदंडों का पालन किया जाता है।

एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों का उन्नयन

एक बार जब किसी खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उस विशेष तिथि की दिन-अंत गतिविधि चालन के समय उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन के संपूर्ण बकाया का भुगतान करने पर ही उसका मानक परिसंपत्ति (एसएमए-0/ एसएमए-1/ एसएमए-2) के रूप में **उन्नयन किया जाएगा।**

पुनर्संरचना, वाणिज्यिक संचालन शुरू करने की तारीख (डीसीसीओ) की उपलब्धि न होने आदि के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए निर्दिष्ट मौजूदा निर्देश लागू रहेंगे।

मामला अध्ययन :

क्रम सं.	दिन अंत प्रक्रिया	विवरण	टिप्पणी
1.	30 जून, 2022	दिन के अंत में चालन प्रक्रिया के समय संपूर्ण देय राशि का भुगतान न करना।	अतिदेय तिथि
2.	30 जुलाई, 2022	दिन के अंत में चालन प्रक्रिया के समय गैर-भुगतान का जारी रहना।	खाते को एसएमए-1 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा
3.	29 अगस्त, 2022	दिन के अंत में चालन प्रक्रिया के समय गैर-भुगतान का जारी रहना।	खाते को एसएमए-2 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा
4.	28 सितम्बर, 2022	दिन के अंत में चालन प्रक्रिया के समय गैर-भुगतान का जारी रहना।	खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा

एनपीए के रूप में वर्गीकृत खाते को कंपनी द्वारा ब्याज और भुगतान सहित सभी पिछले बकाया प्राप्त होने के बाद ही मानक में अपग्रेड किया जाएगा।

विभिन्न अंतरालों पर शून्य/आंशिक भुगतान के विस्तृत उदाहरण नीचे सारणीबद्ध हैं:

1. सभी भुगतान किए गए

तारीख	देय राशि	भुगतान की गई राशि	शेष राशि	कितने दिनों से देय है	स्थिति	टिप्पणी
30-06-2022	2500	2500	0	0	नियमित	कोई अतिदेय नहीं

2. कोई भुगतान नहीं किए गए

तारीख	देय राशि	भुगतान की	शेष राशि	कितने दिनों	स्थिति	टिप्पणी

		गई राशि		से देय है		
30-06-2022	2500	0	2500	1	नियमित	अतिदेय
15-07-2022	1000	0	3500	16	एसएमए-0	अतिदेय जून 2022
30-07-2022	0	0	3500	31	एसएमए-1	अतिदेय जून 2022
31-07-2022	1500	0	5000	32	एसएमए-1	अतिदेय जून 2022
29-08-2022	0	0	5000	61	एसएमए-2	अतिदेय जून 2022
31-08-2022	1600	0	6600	63	एसएमए-2	अतिदेय जून 2022
28-09-2022	0	0	6600	91	एनपीए	अतिदेय जून 2022

3. आंशिक रूप से भुगतान किए गए

(क) एक किश्त के एक भाग का भुगतान किया गया :

तारीख	देय राशि	भुगतान की गई राशि	शेष राशि	कितने दिनों से देय है	स्थिति	टिप्पणी
30-06-2022	2500	0	2500	1	नियमित	अतिदेय
15-07-2022	1000	0	3500	16	एसएमए-0	अतिदेय जून 2022
30-07-2022	0	1200	2300	31	एसएमए-1	अतिदेय जून 2022 (1300 रुपए)
31-07-2022	1500	0	3800	32	एसएमए-1	अतिदेय जून 2022 (1300 रुपए)
29-08-2022	0	0	3800	61	एसएमए-2	अतिदेय जून 2022 (1300 रुपए)
31-08-2022	1600	1000	4400	63	एसएमए-2	अतिदेय जून 2022 (300 रुपए)
28-09-2022	0	0	4400	91	एनपीए*	अतिदेय जून 2022 (300 रुपए)

चूंकि जून के देयों में से 300 रुपए का 90 दिवस तक भुगतान नहीं किया गया, खाता एनपीए बन गया।

(ख) एक पूर्ण किश्त का भुगतान किया गया:

तारीख	देय राशि	भुगतान की गई राशि	शेष राशि	कितने दिनों से देय है	स्थिति	टिप्पणी
30-06-2022	2500	0	2500	1	नियमित	अतिदेय
15-07-2022	1000	0	3500	16	एसएमए-0	अतिदेय जून 2022
30-07-2022	0	2500	1000	16	एसएमए-0	अतिदेय 15-07-2022
31-07-2022	1500	0	2500	17	एसएमए-0	अतिदेय 15-07-2022
14-08-2022	0	0	2500	31	एसएमए-1	अतिदेय 15-07-2022
31-08-2022	1600	1000	3100	48	एसएमए-1	अतिदेय 15-07-2022
13-09-2022	0	0	3100	61	एसएमए-2	अतिदेय 15-07-2022
30-09-2022	2500	0	5600	78	एसएमए-2	अतिदेय 15-07-2022
13-10-2022	0	0	5600	91	एनपीए	अतिदेय 15-07-2022

4. आंशिक भुगतान किए गए देय (एनपीए के पश्चात)

तारीख	देय राशि	भुगतान की गई राशि	शेष राशि	कितने दिनों से देय है	स्थिति	टिप्पणी
30-06-2022	2500	0	2500	1	नियमित	अतिदेय
15-07-2022	1000	0	3500	16	एसएमए-0	अतिदेय जून 2022
30-07-2022	0	1200	2300	31	एसएमए-1	अतिदेय जून 2022 (1300 रुपए)
31-07-2022	1500	0	3800	32	एसएमए-1	अतिदेय जून 2022 (1300 रुपए)
29-08-2022	0	0	3800	61	एसएमए-2	अतिदेय जून 2022 (1300 रुपए)
31-08-2022	1600	1000	4400	63	एसएमए-2	अतिदेय जून 2022 (300 रुपए)
28-09-2022	0	0	4400	91	एनपीए	अतिदेय जून 2022 (300 रुपए)
29-09-2022	0	2800	1600	29	एनपीए	सभी देयों का भुगतान नहीं किया गया

5. पूर्ण रूप से भुगतान किए गए देय (एनपीए के पश्चात)

तारीख	देय राशि	भुगतान की गई राशि	शेष राशि	कितने दिनों से देय है	स्थिति	टिप्पणी
30-06-2022	2500	0	2500	1	नियमित	अतिदेय
15-07-2022	1000	0	3500	16	एसएमए-0	अतिदेय जून 2022
30-07-2022	0	1200	2300	31	एसएमए-1	अतिदेय जून 2022 (1300 रुपए)
31-07-2022	1500	0	3800	32	एसएमए-1	अतिदेय जून 2022 (1300 रुपए)
29-08-2022	0	0	3800	61	एसएमए-2	अतिदेय जून 2022 (1300 रुपए)
31-08-2022	1600	1000	4400	63	एसएमए-2	अतिदेय जून 2022 (300 रुपए)
28-09-2022	0	0	4400	91	एनपीए	अतिदेय जून 2022 (300 रुपए)
29-09-2022	0	4400	0	0	एनपीए	सभी देयों का भुगतान किया गया

उपरोक्त उदाहरण केवल सामान्य परिदृश्यों को कवर करने वाले उदाहरण हैं और संपूर्ण नहीं हैं तथा आरबीआई दिशानिर्देशों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं। उधारकर्ताओं का परिसंपत्ति वर्गीकरण मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जिसमें आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर आरबीआई द्वारा जारी मास्टर परिपत्र भी शामिल है।

परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए, कृपया आरबीआई के दिनांक 1 सितंबर, 2016 के मास्टर परिपत्र - मास्टर निर्देश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 तथा दिनांक 12 नवंबर, 2021 का आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - स्पष्टीकरण देखें। उपरोक्त संपत्ति / एसएमए वर्गीकरण मानदंड समय-समय पर जारी नियामक निर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं।